

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9498

दिनांक – 05.12.25

प्रार्थीगण
1 तुलछा उर्फ तुलससिंह पुत्र
गुणेशसिंह 2 मगसिंह 3 तेजुसिंह उर्फ
ताजुसिंह 4 जेतमालसिंह पिसरान
रूगसिंह 5 मिसरादेवी पत्नि वीरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी बोथिया
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चम्पालाल पुत्र गोरधनराम वगैराह
जाति माली निवासी जालिपा बाड़मेर
मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 711/2025

दिनांक- 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 553 रकबा 3.8202 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9499- 9502

दिनांक- 05.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण तुलछा उर्फ तुलससिंह पुत्र गुणेशसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बोथिया तहसील व
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चम्पालाल पुत्र गोरधनराम वगैराह जाति माली निवासी जालीपा बाड़मेर तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

बाड़मेर